Ph.No. 0151 - 2543419 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

No: F. (331)/ RAJUVAS /Reg./ RTI /2014/214 Dated:- 20-6-14

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को छोड़ कर दस रू. का शुल्क सलंग्न किए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में सूचना का अधिकार नियम 2012 के नियम 6 में शुल्क संदाय करने की रीतियां उल्लेखित की गयी है। नियम 6 (क) के प्रावधानों अनुसार लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में शुल्क की राशि नकद जमा करवाकर अथवा नियम 6 (ख) अनुसार विश्वविद्यालय के वित्त–नियंत्रक को संदेय मांग देय ड्राफ्ट (Demand Draft), बैंकर चैक, भारतीय पोस्टल आर्डर प्रेषित कर शुल्क भुगतान किया जा सकता है। निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 10/9/2008/आई.आर दिनांक 05.08.2008 के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि डी.डी./बैंकर चैक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर संबधित लोक प्राधिकारण के लेखाधिकारी के देय होने चाहिए।

इस संबंध में प्रायः देखा गया है कि विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों के साथ सलंग्न भारतीय पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक कुलसचिव अथवा लोक सूचना अधिकारी को सम्बोधित होते है जबकि सूचना का अधिकार नियम 2012 अनुसार भारतीय पोस्टल ऑर्डर या डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक लेखाधिकारी (वित्तनियंत्रक, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर) को ही सम्बोधित होने चाहिए।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भविष्य में विश्वविद्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न भारतीय पोस्टल ऑर्डर/बैंकर चैक/डिमाण्ड वित्त नियंत्रक, राजस्थान पशुचिकत्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के अलावा किसी अन्य को सम्बोधित होने की स्थिति में आवेदन पत्र मूल ही मय शुल्क वापस लौटा दिया जाएगा।

Sd/-
(राकेश राव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. डॉ. जी.सी. गहलोत, प्रोफेसर, AGB पशुचिकित्सा एंव पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करावें।
3. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

20/6/14
कुलसचिव